



-2026:AHC:56397

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

**आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बीएनएसएस
संख्या-1996/2026**

चन्द्रहास

....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

....विपरीत पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता	:	अंकित श्रीवास्तव, ऋषभ द्विवेदी
विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता	:	अभिषेक त्रिपाठी, अखिलेश कुमार मिश्र, जीए

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अंकित श्रीवास्तव, प्रथम शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अखिलेश कुमार मिश्रा की ओर से अधिवक्ता श्री देवेन्द्र कुमार मिश्रा और राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राधे श्याम की दलीलें सुनी गईं एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

2. यह आवेदन हापुड़ नगर पुलिस स्टेशन, जिला हापुड़ में बीएनएस की धारा 318(4), 336(3), 338, 340(2), 61(2) के तहत केस क्राइम संख्या 759/2025 में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए दायर किया गया है, जिसमें प्रार्थना की गई है

**अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।**



कि गिरफ्तारी की स्थिति में आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि समान परिस्थितियों में फंसी सह-आरोपी ममता वर्मा को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 16.3.2026 के आदेश के तहत अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 1826/2026 में अग्रिम जमानत पर रिहा किया जा चुका है। आगे यह भी बताया गया है कि एफआईआर के अनुसार, आवेदक उस कार्यवाही में गवाह है जिसमें मृतक अरुण कुमार वर्मा का जाली मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार किया गया है। वह मुकदमे के दौरान सहयोग करने और जांच एजेंसी या न्यायालय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उपस्थित होने का वचन देता है और यदि उसे अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और जमानत की सभी शर्तों का पालन करेगा।

4. दूसरी ओर, प्रथम शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान एजीए ने अग्रिम जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया और कहा कि अरुण कुमार वर्मा के मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार करने के लिए अधिकारियों को गलत जानकारी दी गई थी।

5. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत की गई परस्पर विरोधी दलीलों पर विचार किया है।

6. आवेदक पर अरुण कुमार वर्मा के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रक्रिया के दौरान अधिकारियों को गलत जानकारी देने का आरोप है। सह-आरोपी ममता वर्मा को इस न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत पर रिहा किया जा चुका है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. यह उल्लेख किया जा सकता है कि सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य (2011) 1 एससीसी 694 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि अग्रिम जमानत का निर्णय करते समय न्यायालय को आरोप की प्रकृति और गंभीरता, आरोपी के पूर्ववृत्त, आरोपी के न्याय से भागने की संभावना पर विचार करना चाहिए और न्यायालय को आरोपी के खिलाफ उपलब्ध सभी सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए तथा आरोपी की सटीक भूमिका को भी ध्यान में रखना चाहिए।

8. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, अग्रिम जमानत से संबंधित कानून के स्थापित सिद्धांतों, पक्षों के विद्वान अधिवक्तों की दलीलों, आरोप की प्रकृति, आवेदक की भूमिका पर विचार करते हुए और गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का मामला बनता है।

9. अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली गई है।

10. उपरोक्त मामले में अपराध के लिए आवेदक चंद्रहास की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार 50,000/- रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा, निम्नलिखित शर्तों के साथ:-

(i) आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और संबंधित न्यायालय द्वारा छूट दिए जाने तक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से निचली अदालत के समक्ष



उपस्थित होगा और किसी भी अनुचित स्थगन की मांग नहीं करेगा;

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;

(iii) आवेदक मुकदमे की सुनवाई के दौरान सहयोग करेगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

(iv) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ सकता है।

11. यदि इनमें से किसी भी शर्त का पालन नहीं किया जाता है, तो अभियोजन पक्ष आवेदक को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने के लिए उचित आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगा।

18 मार्च, 2026

(न्यायमूर्ति
जितेंद्र कुमार
सिन्हा)